न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

बइजलास– रवीन्द्र कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 35/2022 जीसीएमएस नम्बर 2022/56

अपीलान्ट

डालूराम पुत्र बालूराम जाति कुमावत निवासी मीठड़ी तहसील नावां जिला डीडवाना–कुचामन।

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नावां जिला डीडवाना–कुचामन ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ★ कुचामन सिटी ★

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री सुधीर कौशिक अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांकः 05.02.2024

1 यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नावां के प्रकरण संख्या 108/2020 बअनवान सरकार जरिये तहसीलदार नावां बनाम श्री डालूराम में पारित निर्णय दिनांक 17.08.2021 के विरूद्ध पेश की है।

2 अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मीठड़ी की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 24.02.2021 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 17.08.2021 द्वारा अपीलान्ट को ग्राम मीठड़ी के खसरा नं. 904 कुल रकबा 0.60 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय में से रकबा 0.023256 हैक्टर भूमि पर से बेदखली के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्ट का कथन है कि न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा अपीलान्ट का पक्ष सुने बिना ही दिनांक 17.08.2021 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर दिया गया। तथा ग्राम मीठड़ी के खसरा नं. 904 कुल रकबा 0.60 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय में से रकबा 0.023256 हैक्टर भूमि पर से अपीलान्ट को बेदखल कर लगान 0.09 का पचास गुणा से राशि रूपये 4.5 रूपये अक्षरे चार रूपये पचास पैसे जुर्माना आरोपित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3 अपीलान्ट की अपील दिनांक 06.09.2022 को मियाद का बिन्दु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अ[illegible]/राजस्व/2022/2120 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा रिकार्ड इस न्यायालय में प्राप्त [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:10:29 IST
Reason: SelfAttested

4 वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र पेश कर कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा निर्णय दिनांक 17.08.[illegible] अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट [illegible] आक्षेपित निर्णय की [illegible] नहीं हो सकी। वकील अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील में विलम्ब के सम्बन्ध में जो कारण बताये गये है। वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होने से अपील में हुआ विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

05/02/2024
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

5 बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। अपीलार्थी के वकील ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम मीठडी के खसरा नं. 904 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि में से 0.023256 है0 पर चार दुकानें व नोहरा का स्थायी निर्माण करवाकर रहवास किया जा रहा है। एवं मेरे प्रार्थी के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी, क्योकि आलोच्य भूमि राजस्व रिकार्ड अभिलेख में राजकीय भूमि दर्ज नहीं होकर खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज है। इस बाबत अधिवक्ता द्वारा माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा न्यायिक प्रकरण मालसिंह बनाम राजस्थान राज्य आरआरटी 2005(1) प्र. 254 निर्णय दिनांक 12.04.2004 व बाबूलाल बनाम केसरीलाल व अन्य आरआरडी 1993 प्र. 185 के मामलों में प्रतिपादित किया कि " अधिनियम की धारा 91 के तहत तहसीलदार द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर हुए अतिक्रमण के संबंध में ही कार्यवाही करने का क्षैत्राधिकार रखता है। किसी अन्य खातेदारी भूमि के संबंध में नही" इस प्रकरण में मन्दिर मूर्ति की भूमि अधिनियम की धारा 91 के अधीन बेदखली एवं शास्ति की कार्यवाही नहीं कि जा सकती है।

6 बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का मीठड़ी की रिपोर्ट अनुसार मौजा मीठड़ी के खसरा न. 904 कुल रकबा 0.60 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बारानी तृतीय में से रकबा 0.023256 हैक्टेयर भूमि पर पक्का निर्माण चार दुकान व नोहरा बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 3 (2)राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 के बिन्दु संख्या 5 में स्पष्ट निर्देश प्रदान किये गये है कि मन्दिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति में पटवारी द्वारा संज्ञान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही इस प्रकार करेगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्व करते है, तथा मन्दिर मूर्ति के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगें।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाना साबित होने से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमण हटवाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील में कोई सार नही होने से यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश जैर अपील जारी करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलांट को बेदखली का आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

–:आदेश:–

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.08.2021 उपर्युक्त विवेचनानुसार यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

05/02/2024

(रवीन्द्र कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad
Date: 2025.12.31 13:10:29 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

05/02/2024
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामनसिटी